RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
अक्टूबर
17
2024

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index

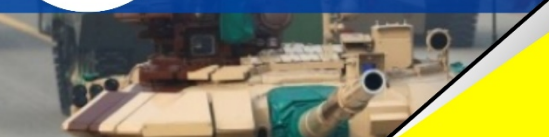

By Ankit Avasthi Sir

भारत और कोलंबिया ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण समझौता / India and Colombia audio-visual co-production agreement

भारत और कोलंबिया ने **ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण** समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं में सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यह समझौता सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के साथ-साथ दोनों देशों के फिल्म उद्योग के बीच सहयोग को सशक्त बनाएगा।

समझौते के लाभ:

- ✓ **रचनात्मक और तकनीकी सहयोग:** भारतीय और कोलंबियाई निर्माताओं को अपने **रचनात्मक, कलात्मक, तकनीकी, और वित्तीय संसाधनों** को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा।
- ✓ **सांस्कृतिक संबंधों में वृद्धि:** यह समझौता दोनों देशों के बीच **सांस्कृतिक संबंधों** को मजबूत करेगा और लोगों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देगा।
- ✓ **सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन:** भारत की **'सॉफ्ट पावर'** को प्रदर्शित करने का एक अवसर होगा, जिससे भारत की **वैश्विक छवि** में सुधार होगा।
- ✓ **रोजगार के अवसर:** यह **फिल्म निर्माण, पोस्ट-प्रोडक्शन, और विपणन से जुड़े कलात्मक, तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों** में रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा।
- ✓ **शूटिंग के लिए भारतीय स्थानों को बढ़ावा:** समझौते से भारतीय स्थानों के उपयोग में वृद्धि होगी, जिससे भारत एक पसंदीदा **फिल्म शूटिंग गंतव्य** बनेगा और विदेशी मुद्रा के प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा।

भारत-कोलंबिया सहयोग की विशेषताएँ:

- ☑ कोलंबिया भारत के साथ इस प्रकार के **ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण** समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला **17वां देश** है।
- ☑ इस समझौते से भारतीय फिल्मों के निर्यात को **कोलंबियाई बाजार** में प्रोत्साहन मिलेगा और वित्तपोषण पारदर्शी होगा।

अन्य देशों के साथ समझौते:

भारत ने पहले भी कई देशों जैसे **इटली, यूके, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, कनाडा, चीन, कोरिया, पुर्तगाल, रूस, और ऑस्ट्रेलिया** के साथ ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

वित्तीय प्रोत्साहन:

भारत में सह-निर्माण परियोजनाओं के लिए सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता में काफी वृद्धि हुई है। आधिकारिक सह-निर्माण परियोजनाओं को भारत में किए गए खर्च का **30% तक की प्रतिपूर्ति** मिल सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा **300 मिलियन रुपये** है। यदि परियोजना में **15% या उससे अधिक भारतीय जनशक्ति** को नियोजित किया जाता है, तो **5% का अतिरिक्त बोनस** भी मिल सकता है।

कोलंबिया: एक परिचय

कोलंबिया **दक्षिणी अमेरिका** का एक प्रमुख देश है, जो अपनी **भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक धरोहर** के लिए विख्यात है।

- ✓ **राजधानी : बोगोटा**

भौगोलिक स्थिति:

- **पूर्व में:** वेनेजुएला और ब्राजील
- **दक्षिण में:** इक्वेडोर और पेरू
- **उत्तर में:** कैरेबियन सागर
- **उत्तर-पश्चिम में:** पनामा
- **पश्चिम में:** प्रशांत महासागर

जनसंख्या और भाषा:

- ✓ कोलंबिया की जनसंख्या इसे दुनिया के 29वें सबसे बड़े आबादी वाले देश के रूप में स्थान देती है।
- ✓ दक्षिण अमेरिका में यह **ब्राजील के बाद** दूसरा सबसे बड़ा देश है। देश की आधिकारिक भाषा **स्पेनिश** है, और स्पेनिश बोलने वालों की संख्या के हिसाब से कोलंबिया दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है, **मेक्सिको** और **स्पेन** के बाद।

सांस्कृतिक विविधता:

- ✓ **मूल निवासी:** जिनकी अपनी विशिष्ट परंपराएँ और रीति-रिवाज हैं।
- ✓ **स्पेनिश उपनिवेशवादी:** जो 15वीं शताब्दी में यहाँ आए और संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा।
- ✓ **अफ्रीकी समुदाय:** जिन्हें दास प्रथा के तहत 19वीं सदी में लाया गया, और उनकी संस्कृति ने **कोलंबिया के संगीत, नृत्य, और धार्मिक रीति-रिवाजों** में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- ✓ **यूरोपीय और मध्य एशियाई प्रवासी:** 20वीं शताब्दी में आए इन लोगों ने कोलंबिया की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर में और विविधता जोड़ी।

5वीं वैश्विक मानक संगोष्ठी (GSS-24)/ 5th Global Standards Symposium (GSS-24)

हाल ही में नई दिल्ली में **पांचवीं वैश्विक मानक संगोष्ठी (GSS-24)** का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी **एशिया-प्रशांत क्षेत्र** में पहली बार **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)** द्वारा आयोजित की गई, और इसकी मेजबानी भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने की।

संगोष्ठी का विषय:

GSS-24 का विषय था: **"अगली डिजिटल लहर का चार्टिंग: उभरती प्रौद्योगिकियां, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय मानक (Charting the Next Digital Wave: Emerging Technologies, Innovation, and International Standards)"।**

अंतर्राष्ट्रीय मानकों का महत्व: संगोष्ठी में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के महत्व पर प्रकाश डालने वाले **पांच प्रमुख पहलू** निम्नलिखित थे:

- ✓ **वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाना:** अंतर्राष्ट्रीय मानक **वैश्विक व्यापार** को बढ़ावा देते हैं और **व्यापारिक बाधाओं** को कम करते हैं।
- ✓ **उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना:** मानक उपभोक्ताओं की **सुरक्षा** सुनिश्चित करते हैं और उनके **अधिकारों का सम्मान** करते हैं।
- ✓ **दक्षता और लागत प्रभावशीलता को बढ़ाना:** मानक प्रक्रियाओं को **मानकीकरण** करके दक्षता में सुधार लाते हैं और **लागत को कम** करते हैं।
- ✓ **पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना:** मानक स्थायी विकास को सुनिश्चित करते हैं और **पर्यावरण संरक्षण** में सहायता करते हैं।
- ✓ **वैश्विक सहयोग को सक्षम बनाना:** अंतर्राष्ट्रीय मानक देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं और **साझेदारी को मजबूत** करते हैं।

GSS-24 के मुख्य परिणाम:

- ☑ **आम सहमति आधारित अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली:** ITU **के ब्रिजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन गैप कार्यक्रम** के माध्यम से **विकसित और विकासशील देशों** के बीच मानकीकरण के अंतर को पाटने की दिशा में निरंतर प्रयास।
- ☑ **उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों के सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक:** विकासशील देशों को डिजिटल नवाचार अपनाने में सक्षम बनाने के लिए मानक विकास संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन।
- ☑ **उच्च-स्तरीय खंड परिवर्तनों को उत्प्रेरित करना: ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट** के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर, और डिजिटल परिवर्तन में उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों, जैसे कि एआई, के महत्व को मान्यता।
- ☑ **मानक और सतत विकास लक्ष्य:** उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों के सतत विकास में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की भूमिका, जैसे कि **#Standards4SDGs** अभियान।
- ☑ **स्मार्ट शहरों का जश्न मनाना:** टिकाऊ पहलों को मान्यता देना और **स्मार्ट सस्टेनेबल सिटीज (यू4एसएससी)** पहल के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करना।

ITU के बारे में :

- ✓ **ITU (अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ)** सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।
- ✓ इसमें **194 सदस्य देश** और **1000 से अधिक कंपनियाँ, विश्वविद्यालय, और अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन** शामिल हैं।
- ✓ इसका मुख्यालय **जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड** में है, और इसके क्षेत्रीय कार्यालय हर महाद्वीप पर स्थित हैं।
- ✓ ITU संयुक्त राष्ट्र परिवार की **सबसे पुरानी एजेंसी** है, जो **1865** में **टेलीग्राफ़ की शुरुआत** से दुनिया को जोड़ने का कार्य कर रही है।

ITU क्या करता है:

- ☑ **अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की सुगमता:** ITU संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को सरल बनाने के लिए कार्य करता है।
- ☑ **रेडियो स्पेक्ट्रम आवंटन:** यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं का आवंटन करता है।
- ☑ **तकनीकी मानकों का विकास:** ITU तकनीकी मानकों का विकास करता है, जो सुनिश्चित करते हैं कि नेटवर्क और प्रौद्योगिकियाँ निर्बाध रूप से जुड़ें।
- ☑ **डिजिटल पहुँच में सुधार:** ITU दुनिया भर में वंचित समुदायों में **डिजिटल प्रौद्योगिकियों** तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए काम करता है।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT)/ Central Administrative Tribunal (CAT)

हाल ही में **तेलंगाना** में कार्यरत **चार वरिष्ठ IAS अधिकारियों** ने, जो आंध्र प्रदेश कैडर में वापस भेजे गए हैं, **कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)** के प्रत्यावर्तन आदेश को रद्द करने की मांग के लिए **केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT)** का दरवाजा खटखटाया है।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के बारे में:

- ✓ **संवैधानिक प्रावधान:** केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना **संविधान के अनुच्छेद 323-ए** के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य संघ या अन्य **सरकार-नियंत्रित प्राधिकरणों** के तहत सार्वजनिक कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों का समाधान करना है।
- ✓ **उद्देश्य: प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985** का मुख्य उद्देश्य नियमित अदालतों पर बोझ को कम करना और सेवा मामलों का शीघ्र समाधान करना है।

संरचना:

- **बेंचों की संख्या:** पूरे भारत में CAT की **19 बेंच और 19 सर्किट** बेंच हैं।
- **अधिकार क्षेत्र:** केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों सहित **215 संगठन CAT** के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- **प्रधान पीठ:** CAT की प्रधान पीठ **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली** से संबंधित मामलों को संभालती है।

नेतृत्व: CAT की अध्यक्षता एक **अध्यक्ष और 69 सदस्यों (34 न्यायिक सदस्य और 35 प्रशासनिक सदस्य)** द्वारा की जाती है।

कार्य:

- ☑ **पीठ की संरचना:** पीठ में एक न्यायिक **सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य** शामिल होते हैं।
- ☑ **विशेषज्ञता:** CAT सेवा-संबंधी मामलों में विशेषज्ञता रखता है और सामान्य अदालतों की तुलना में **सरल प्रक्रियाओं** के साथ कार्य करता है।
- ☑ **मामलों की संख्या:** अपनी स्थापना के बाद से, CAT ने **उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों** से **13,350 से अधिक मामले** प्राप्त किए हैं। जून 2022 तक, CAT ने **8,04,272 मामलों का निपटारा किया, जिससे 91.18%** की निपटान दर प्राप्त हुई है।
- ☑ **पीड़ित सरकारी कर्मचारियों के लिए:** पीड़ित सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से CAT में अपना पक्ष रख सकते हैं। आवेदन दाखिल करने के लिए **50 रुपये** का नाममात्र शुल्क देना होगा, जिसमें निर्धनता के आधार पर शुल्क में छूट का प्रावधान भी है।

नियम और प्रक्रियाएँ:

- ✓ CAT प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है और **सिविल प्रक्रिया संहिता** से बंधा नहीं है। इसके अपने नियम बनाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - **केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1987**
  - **केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अभ्यास नियम, 1993**
- ☑ **अवमानना के मामलों में शक्तियाँ:** **प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985** की **धारा 17** के तहत **CAT** को उच्च न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।

अपील का प्रावधान:

- ☑ शुरू में, **CAT के निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय** में विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती थी। लेकिन **एल. चंद्र कुमार** मामले के बाद, निर्णयों को संबंधित उच्च न्यायालय में **अनुच्छेद 226/227** के तहत रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी जाती है।

यूनियन बनाने का अधिकार / Right to Unionize

तमिलनाडु के **श्रीपेरंबदूर** में सैमसंग इंडिया के श्रमिक बेहतर रोजगार शर्तों के लिए सामूहिक सौदेबाजी हेतु पंजीकृत **ट्रेड यूनियन बनाने** के अपने **मौलिक अधिकार** पर केंद्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रमिक अपनी नवगठित यूनियन को मान्यता देने और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं।

ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार: संवैधानिक संरक्षण

- ✓ **अनुच्छेद 19(1)(सी):** 1989 के **बीआर सिंह बनाम भारत संघ मामले** में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद के तहत संघ या **यूनियन बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार** माना।
- ✓ **अनुच्छेद 19(4):** इसके तहत प्रतिबंध केवल तभी लगाए जा सकते हैं जब **सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, संप्रभुता या भारत की अखंडता** खतरे में हो। ऐसे प्रतिबंध तर्कसंगत और मनमाने नहीं होने चाहिए।
- ✓ **महत्व:** अदालत ने यह भी कहा कि श्रमिकों की शिकायतों को आवाज देने के लिए ट्रेड यूनियनें आवश्यक हैं और श्रमिकों को सामूहिक प्रतिनिधित्व के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु **ट्रेड यूनियनों को पंजीकृत करना राज्य** का दायित्व है।
- ✓ **ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926:** इसके तहत पंजीकरण से यूनियनों को सिविल और आपराधिक कार्रवाई से छूट मिलती है। **धारा 4 के अनुसार,** सात सदस्य भी पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, और **रजिस्ट्रार** को यह सुनिश्चित करना होता है कि **संघ के नियम अधिनियम** के अनुरूप हों।

सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining):

- ☑ **परिभाषा और महत्व:** मद्रास उच्च न्यायालय ने **रंगास्वामी बनाम ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार मामले** में सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के रूप में परिभाषित किया। इसे **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा 1981** के सामूहिक सौदेबाजी सम्मेलन में भी परिभाषित किया गया है।
- ☑ **भारत में वैधानिक मान्यता: सामूहिक सौदेबाजी** को **औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947** के तहत **वैधानिक** मान्यता प्राप्त है। यदि यह विफल होती है, तो मामला **सुलह अधिकारी को या श्रम न्यायालय को भेजा** जा सकता है।
- ☑ **अनुचित श्रम व्यवहार:** सामूहिक सौदेबाजी से इनकार को अनुचित श्रम व्यवहार के रूप में माना गया है।

निष्कर्ष: यूनियन बनाने का अधिकार श्रमिकों के लिए एक मौलिक अधिकार है, जो उन्हें सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से अपनी कार्य स्थितियों में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। यह संविधान और विभिन्न **श्रम कानूनों द्वारा संरक्षित** है, जिससे श्रमिकों को अपनी आवाज उठाने और बेहतर रोजगार शर्तों की मांग करने का मंच मिलता है।

सामूहिक सौदेबाजी का ऐतिहासिक विकास:

- ✓ **प्रारंभिक संकेत:** इसकी जड़ें **18वीं और 19वीं सदी** के प्रारंभ में हैं। भारत में इसके शुरुआती संकेत **महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1918** में **अहमदाबाद मिल्स हड़ताल** के दौरान देखे गए।
- ✓ **न्यायिक मान्यता:** भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सामूहिक सौदेबाजी के महत्व को मान्यता दी है, जैसे **करनाल लेदर कर्मचारी बनाम लिबर्टी फुटवियर कंपनी** मामले में।

हड़ताल का अधिकार:

- ☑ **कानूनी मान्यता:** हड़ताल का **अधिकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947** के तहत मान्यता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय इसे श्रमिकों द्वारा अपने अधिकारों के लिए किए जाने वाले प्रदर्शन के रूप में मानता है।
- ☑ **प्रतिबंध:** धारा 22 में **वैध हड़ताल** के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, जैसे कि **नियोक्ता को कम से कम छह सप्ताह पहले सूचना देना।**
- ☑ **संविधान और औद्योगिक कानून:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जबकि **संघ बनाने का अधिकार** सुरक्षित है, **यूनियनों को औद्योगिक कानून** के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए।

CBD के अंतर्गत भारत का जैवविविधता लक्ष्य/ India's Biodiversity Target under CBD

हाल ही में, भारत ने **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क (KMGBF)** के साथ संरेखित करते हुए जैवविविधता पर **संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CBD)** में अपने राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्य प्रस्तुत करने की योजना बनाई है। CBD का **अनुच्छेद 6** सभी पक्षकारों से जैवविविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीति, योजना या कार्यक्रम तैयार करने का आह्वान करता है।

भारत का जैवविविधता लक्ष्य:

भारत द्वारा कोलंबिया के कैली में आयोजित होने वाले CBD के पक्षकारों के **16वें सम्मेलन (CBD-COP 16)** में प्रस्तुत किए जाने की संभावना वाले **23 जैवविविधता** लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

- ✓ **संरक्षण क्षेत्र:** जैवविविधता को बढ़ाने के लिए **30% क्षेत्रों** को प्रभावी रूप से संरक्षित करना।
- ✓ **आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन:** आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश और स्थापना में **50% की कमी लाना।**
- ✓ **अधिकार और भागीदारी:** जैवविविधता संरक्षण प्रयासों में **स्वदेशी लोगों, स्थानीय समुदायों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी और अधिकारों** को सुनिश्चित करना।
- ✓ **सतत उपभोग:** सतत उपभोग विकल्पों को सक्षम बनाना और **खाद्य अपशिष्ट को आधे से कम** करना।
- ✓ **लाभ साझाकरण: आनुवंशिक संसाधनों, डिजिटल अनुक्रम** की जानकारी और संबंधित पारंपरिक ज्ञान से लाभ के **निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण** को बढ़ावा देना।
- ✓ **प्रदूषण में कमी:** प्रदूषण को कम करना, **पोषक तत्वों की हानि और कीटनाशक जोखिम** को आधा करना।
- ✓ **जैवविविधता नियोजन:** यह सुनिश्चित करना कि **उच्च जैवविविधता महत्त्व** वाले क्षेत्रों की हानि को कम करने के लिए सभी क्षेत्रों का प्रबंधन किया जाए।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क (KMGBF):

- ☑ **परिचय:** यह एक बहुपक्षीय संधि है, जिसका उद्देश्य **वर्ष 2030** तक **वैश्विक स्तर पर जैवविविधता** की हानि को रोकना है। इसे **दिसंबर 2022 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (CoP)** की 15वीं बैठक के दौरान अपनाया गया था।
- ☑ **उद्देश्य और लक्ष्य:** यह सुनिश्चित करता है कि वर्ष 2030 तक क्षीण हो चुके **स्थलीय, अंतर्देशीय जल, तथा समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र** के कम-से-कम **30% क्षेत्रों** का प्रभावी पुनर्स्थापन हो जाए। इसमें 23 क्रिया-उन्मुख वैश्विक लक्ष्य शामिल हैं, जो वर्ष **2050 तक परिणाम-उन्मुख लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम बनाएंगे।**
- ☑ **दीर्घकालिक दृष्टिकोण:** इस रूपरेखा में यह परिकल्पना की गई है कि वर्ष **2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य** स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता होगी, जो जैवविविधता संरक्षण और सतत उपयोग पर वर्तमान कार्यों और नीतियों के लिए एक आधारभूत मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगी।

राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्यों (NBT) का विकास:

- ✓ **आईची (AICHI) जैवविविधता लक्ष्य:** CBD दायित्वों के तत्त्वाधान में, भारत ने **12 राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्य (NBT)** विकसित किए हैं, जो पिछले **आईची जैवविविधता लक्ष्य (2011-2020)** के अनुरूप हैं।
- ✓ **राष्ट्रीय जैवविविधता कार्य योजना (NBAP):** इनकी शुरुआत मूल रूप से वर्ष **2008** में की गई थी और **आईची जैवविविधता लक्ष्यों** को शामिल करने के लिए वर्ष 2014 में संशोधन किया गया था।
- ✓ **निगरानी:** NBT को प्राप्त करने के लिए भारत द्वारा **संबद्ध संकेतक और निगरानी ढाँचा** विकसित किया गया है, जिससे लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके।

भारत नए जैवविविधता लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकता है?

- **पर्यावास संपर्क**
- **सह-प्रबंधन मॉडल**
- **OECM पर ध्यान केंद्रित करना**
- **कृषि सब्सिडी में सुधार**
- **पिछले लक्ष्यों के साथ संरेखण**

आत्महत्या के लिए उकसाना / Incitement to suicide

हाल ही में, **भारतीय सुप्रीम कोर्ट** ने कार्यस्थल पर आत्महत्या के मामलों में **"अनावश्यक अभियोजन"** से बचने का निर्देश दिया है। यह आदेश एक ऐसे मामले के संदर्भ में आया है जिसमें एक **सेल्समैन, राजीव जैन,** को उसकी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा **कथित उत्पीड़न** के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। इस निर्णय ने आत्महत्या के लिए उकसाने के कानूनी पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है।

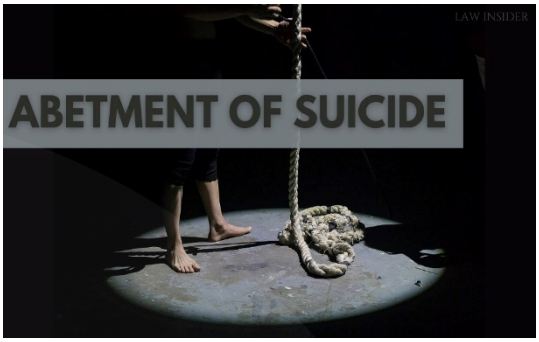

आत्महत्या के लिए उकसाना क्या है?

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा **306 आत्महत्या** के लिए उकसाने को परिभाषित करती है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को **आत्महत्या करने के लिए उकसाता** है या उसके लिए किसी कार्य में सहायता करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है। यह सजा **जुर्माने के साथ 10 वर्ष तक की कारावास** हो सकती है।

IPC की धारा 306 के बारे में :

- ✓ **भारतीय दंड संहिता (IPC)** की धारा **306 आत्महत्या** के लिए उकसाने से संबंधित है।
- ✓ इसे **भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)** की **धारा 108** में भी शामिल किया गया है।
- ✓ इस धारा के तहत, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और उसे उकसाने वाला व्यक्ति पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को **10 वर्ष तक की कारावास की सजा और जुर्माने** का सामना करना पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

- ☑ **उकसाने का स्तर:** आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में, आरोपी द्वारा **प्रत्यक्ष और भयावह प्रोत्साहन** होना चाहिए। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि एक **सामान्य विवाद या शब्दों का आदान-प्रदान कभी-कभी मानसिक असंतुलन** का कारण बन सकता है, लेकिन यह केवल भावनात्मक संबंधों में ही लागू होता है।
- ☑ **आधिकारिक संबंध:** जब संबंध आधिकारिक होते हैं, जैसे **नियोक्ता और कर्मचारी** के बीच, तो ऐसे मामलों में आरोपी की जिम्मेदारी और उसके द्वारा किए गए कार्यों को देखने के लिए अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है।
- ☑ **साक्ष्य की कमी:** अदालत ने कहा कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए कि आरोपी का आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई इरादा था। इस संबंध में, **"तथ्यों से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है,"** और सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती है, यदि आरोपों की प्रकृति खुद बयां करती है।

निष्कर्ष: इस निर्णय के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न के मामलों में **अदालतों और पुलिस को अत्यधिक सावधानी** बरतनी चाहिए। यह आवश्यक है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में सबूतों की **पर्याप्तता और आरोपी** के इरादों का स्पष्ट रूप से मूल्यांकन किया जाए। न्यायपालिका के इस दृष्टिकोण से न केवल व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा होती है, बल्कि यह न्यायिक प्रणाली के दुरुपयोग को भी रोकता है।

न्यायपालिका की दृष्टि:

- ☑ न्यायपालिका ने पहले भी आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में उच्च मानदंड स्थापित किए हैं।
- ☑ **एम मोहन बनाम राज्य (2011)** में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए एक **सक्रिय या प्रत्यक्ष** कार्य की आवश्यकता होती है, जिसके कारण व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है।
- ☑ **रणधीर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (2004):** उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उकसाने में किसी व्यक्ति को उकसाना या उस काम को करने में **जानबूझकर मदद करना शामिल** है। इसका अर्थ है कि **यह केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सक्रियता की आवश्यकता है।**
- ☑ **अमलेंदु पाल @ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2010):** इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी आरोपी को IPC की **धारा 306 के अंतर्गत दोषी ठहराने से पहले,** न्यायालय को तथ्यों और परिस्थितियों की गहनता से जाँच करनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि क्या पीड़िता के साथ हुई **क्रूरता और उत्पीड़न** के कारण उसके पास **आत्महत्या के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था।**

क्रिस्टल संरचना
Crystal Structure

हाल ही में, **शोधकर्ताओं** ने एक **अद्वितीय और असाधारण अवलोकन** किया है, जिसने **क्रिस्टल संरचनाओं** की **समरूपता** को समझने के पारंपरिक विचारों को चुनौती दी है। यह अध्ययन दिखाता है कि एक **स्थानीय क्रिस्टल संरचना** की समरूपता, जो किसी विशेष परमाणु के आसपास के क्षेत्र में होती है, बढ़ते तापमान के साथ सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत, कम हो जाती है।

समरूपता और तापमान का संबंध:

- ✓ सामान्यत:, यह माना जाता है कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, तो इसकी एन्ट्रॉपी में वृद्धि के कारण उसकी क्रिस्टल समरूपता बढ़ती है।
- ✓ हालाँकि, **जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (जेएनसीएएसआर),** बेंगलुरु के प्रोफेसर **कनिष्क विश्वास**, सुश्री **आइवी मारिया, डॉ. परिवेश आचार्य** और उनके शोध दल ने नए प्रयोगों के माध्यम से इस पारंपरिक सोच को चुनौती दी है।

स्थानीय संरचना का महत्व:

- किसी क्रिस्टल की स्थानीय संरचना, जिसमें किसी विशेष **परमाणु के चारों ओर के परमाणुओं की व्यवस्था** शामिल होती है, आमतौर पर वैश्विक संरचना के अनुरूप होती है।
- हालांकि, शोधकर्ताओं ने पाया कि कुछ विशेष मामलों में, जैसे कि **अकार्बनिक द्वि-आयामी हैलाइड पेरोव्स्काइट, $Cs_2PbI_2Cl_2$,** स्थानीय और वैश्विक समरूपता अलग हो सकती है।
- इस अध्ययन में दिखाया गया है कि बढ़ते तापमान के साथ, इस **यौगिक** में स्थानीय समरूपता कम होती है, जबकि **वैश्विक क्रिस्टल समरूपता** अपरिवर्तित रहती है।

"एम्फेनिसिस" की परिघटना:

- ☑ इस असामान्य घटना को **"एम्फेनिसिस"** कहा गया है, जिसका अर्थ है **"शून्य से प्रकट होना"।**
- ☑ शोधकर्ताओं ने **सिंक्रोट्रॉन एक्स-रे तकनीक** का उपयोग किया, जिससे एक्स-रे विवर्तन पैटर्न के माध्यम से ठोस पदार्थों की स्थानीय और वैश्विक संरचनाओं का अध्ययन किया जा सका। यह तकनीक इस फिनॉमिनन को समझने में महत्वपूर्ण साबित हुई।

शोध के निष्कर्ष:

- ☑ शोधकर्ताओं ने पाया कि इस असामान्य स्थानीय समरूपता भंग का मुख्य कारण यौगिक में उपस्थित सीसे की रासायनिक रूप से सक्रिय एकाकी जोड़ी है।
- ☑ $Cs_2PbI_2Cl_2$ में **क्लोरीन और सीसा परमाणुओं** के बीच मौजूद संरचनात्मक विकृतियाँ एक दिलचस्प विशेषता हैं, जहां **क्लोरीन परमाणु स्थैतिक विकृति** का अनुभव करते हैं जबकि सीसा परमाणु गतिशील विकृति का। यह जटिलता विभिन्न संरचना-विकृति प्रभावों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है।

फोटोकैटेलिस्ट क्या हैं?
What are photocatalysts?

वैज्ञानिकों ने एक प्रभावी **फोटोकैटेलिस्ट** विकसित किया है जो **सल्फामेथोक्साजोल**, एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, को कम **खतरनाक रसायनों में विघटि**त कर सकता है। यह नवाचार **एंटीबायोटिक संदूषण** से जुड़े स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को कम करने में सहायक है।

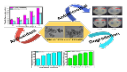

फोटोकैटेलिस्ट क्या हैं?

"फोटोकैटेलिस्ट" एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जो **फ़ोटोकैटेलिसिस** से संबंधित है। फ़ोटोकैटेलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें **प्रकाश (विशेष रूप से सूर्य के प्रकाश)** का उपयोग करके रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित किया जाता है। यह प्रक्रिया अक्सर पर्यावरणीय अनुप्रयोगों में उपयोग की जाती है, जैसे कि **प्रदूषण नियंत्रण, जल शुद्धि, और ऊर्जा उत्पादन में।**

एंटीबायोटिक संदूषण की समस्या: एंटीबायोटिक संदूषण कई प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है, जैसे:

- **एंटीबायोटिक प्रतिरोध:** जब **एंटीबायोटिक्स पर्यावरण** में जमा होते हैं, तो यह बैक्टीरिया में प्रतिरोध को बढ़ा सकता है, जिससे उपचार की **प्रभावशीलता कम** हो जाती है।
- **पारिस्थितिक प्रभाव**: एंटीबायोटिक्स के **अति-उपयोग से पारिस्थितिकी तंत्र** में असंतुलन पैदा हो सकता है।
- **मानव स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ: प्रदूषित जल और खाद्य श्रृंखलाओं** के माध्यम से मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

नवाचार: Cu2ZnSnS4 (CZTS) नैनोपार्टिकल्स और CZTS-WS2 कंपोजिट

गुवाहाटी **के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी** इन **साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IASST)** के वैज्ञानिकों की एक टीम ने **कॉपर जिंक टिन सल्फाइड (Cu2ZnSnS4) नैनोपार्टिकल्स** और **कॉपर जिंक टिन सल्फाइड-टंगस्टन डाइसल्फाइड (CZTS-WS2)** कंपोजिट को संश्लेषित किया है। इस अनुसंधान का नेतृत्व प्रोफेसर देवाशीष चौधरी ने किया। उन्होंने **जिंक क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, टिन क्लोराइड, और टंगस्टन डाइसल्फाइड** की **हाइड्रोथर्मल प्रतिक्रिया** के माध्यम से एक प्रभावी फोटोकैटेलिस्ट विकसित किया है।

प्रमुख निष्कर्ष:

- ☑ **फ़ोटोकैटलिटिक गतिविधि:** CZTS-WS2 मिश्रण ने **सल्फामेथोक्साज़ोल** के विघटन में अच्छी फ़ोटोकैटलिटिक गतिविधि प्रदर्शित की।
- ☑ **आर्थिक दृष्टिकोण:** विकसित उत्प्रेरक को पुन: प्राप्त किया जा सकता है और इसकी प्रभावशीलता खोए बिना बार-बार उपयोग किया जा सकता है, जो इसे आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाता है।
- ☑ **कम हानिकारक मध्यवर्ती उत्पाद:** लिक्विड **क्रोमैटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री** (LC-MS) का उपयोग करके किए गए विश्लेषण से पता चला है कि अधिकांश मध्यवर्ती उत्पाद सल्फामेथोक्साज़ोल की तुलना में कम हानिकारक हैं।

निष्कर्ष: इस अध्ययन ने साबित किया है कि **CZTS-WS2** कंपोजिट न केवल प्रभावी रूप से सल्फामेथोक्साज़ोल को विघटित कर सकता है, बल्कि यह पर्यावरण में एंटीबायोटिक संदूषण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में भी मदद कर सकता है।

अस्थि अस्थिकरण परीक्षण क्या है? What is a bone ossification test?

मजिस्ट्रेट ने **महाराष्ट्र** के पूर्व विधायक **बाबा सिद्दीकी** की हत्या के एक आरोपी की उम्र निर्धारित करने के लिए **अस्थि अस्थिकरण परीक्षण** का आदेश दिया।

अस्थि अस्थिकरण परीक्षण क्या है?

अस्थि अस्थिकरण परीक्षण एक **चिकित्सीय प्रक्रिया** है, जिसमें व्यक्ति की **हड्डियों के विकास** का अध्ययन किया जाता है। यह परीक्षण निम्नलिखित तरीकों से आयु निर्धारण में सहायक होता है:

- ✓ **हड्डियों का एक्स-रे:** **हाथों और कलाई** जैसी हड्डियों का एक्स-रे लिया जाता है, जिससे उनकी **संरचना और विकास** का आकलन किया जाता है।
- ✓ **मानक विकास के एक्स-रे से तुलना:** विशेषज्ञ इन **एक्स-रे छवियों** की तुलना **मानक विकास** के एक्स-रे से करते हैं, जिससे अनुमानित आयु का निर्धारण होता है।
- ✓ **स्कोरिंग प्रणाली:** हड्डियों की विभिन्न परिपक्वता के मानकों की तुलना कर **आयु का आकलन** किया जाता है।

आपराधिक न्याय प्रणाली में आयु निर्धारण का महत्व:

- भारत में **18 वर्ष से कम उम्र** के व्यक्ति को नाबालिग माना जाता है।
- **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015** के तहत, नाबालिगों पर वयस्कों के लिए लागू सजा के नियम नहीं लागू होते।
- नाबालिगों को **किशोर न्याय बोर्ड** के समक्ष लाया जाता है, जहां उनकी स्थिति का **मूल्यांकन** किया जाता है।
- यदि कोई **बच्चा जघन्य अपराध** में पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसकी **मानसिक और शारीरिक क्षमता** का आकलन किया जाता है।

अदालत के विचार:

- ☑ **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015** की **धारा 94** के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की उम्र को लेकर संदेह है, तो **आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू** की जानी चाहिए।
- ☑ इसके लिए **आवश्यक दस्तावेज, जैसे स्कूल का जन्मतिथि प्रमाण-पत्र या जन्म प्रमाण-पत्र, पेश** किए जाने चाहिए।
- ☑ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर जोर दिया है कि आयु निर्धारित करने के लिए **ऑसिफिकेशन परीक्षणों** का उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए।
- ☑ कई मामलों में, न्यायालयों ने पहले से मौजूद दस्तावेजों के आधार पर **परीक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं** को खारिज किया है।

संयुक्त राष्ट्र महिला रिपोर्ट: सामाजिक सुरक्षा में लैंगिक अंतर UN Women report: Gender gap in social protection

संयुक्त राष्ट्र महिला की एक नई रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा में **लैंगिक असमानताओं** को उजागर किया है, जिसके कारण अरबों महिलाएँ और लड़कियाँ गरीबी के दायरे में आ रही हैं। **अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस** के अवसर पर जारी की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि **दो अरब से अधिक महिलाएँ और लड़कियाँ** किसी भी प्रकार के सामाजिक संरक्षण—जैसे **नकद लाभ, बेरोज़गारी बीमा, पेंशन, या स्वास्थ्य सेवा**—से वंचित हैं।

रिपोर्ट की प्रमुख बातें:

- ✓ **लैंगिक असमानता:** **"विकास में महिलाओं की भूमिका पर विश्व सर्वेक्षण"** रिपोर्ट के अनुसार, 2015 से अब तक हुई प्रगति के बावजूद, कई विकासशील क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में लैंगिक अंतर बढ़ गया है। यह दर्शाता है कि पुरुषों को हाल की उपलब्धियों से **अधिक लाभ** मिला है, जबकि **महिलाओं और लड़कियों** को पीछे छोड़ दिया गया है।
- ✓ **मातृत्व लाभ की कमी:** रिपोर्ट में पाया गया है कि **63 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ** अभी भी मातृत्व लाभ के बिना बच्चे को जन्म देती हैं। उप-सहारा अफ्रीका में, यह दर **94 प्रतिशत तक पहुँच** गई है। मातृत्व अवकाश के दौरान वित्तीय सहायता की कमी महिलाओं की आर्थिक स्थिरता और उनके बच्चों की भलाई पर गंभीर प्रभाव डालती है।
- ✓ **लिंग-विशिष्ट जोखिम:** **संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, और आर्थिक झटकों** जैसे कारक महिलाओं के लिए लिंग-विशिष्ट जोखिमों को बढ़ाते हैं। **25-34 वर्ष की आयु** की महिलाएँ समान आयु के पुरुषों की तुलना में **25 प्रतिशत अधिक** गरीब **households** में रहने की संभावना रखती हैं।
- ✓ **मुद्रास्फीति का असंगत प्रभाव:** हाल की मुद्रास्फीति ने **खाद्य और ऊर्जा** की बढ़ती कीमतों के साथ महिलाओं को विशेष रूप से कठिनाई में डाल दिया है। संकट के बाद, महिलाओं के लिए **लिंग-विशिष्ट जोखिम और कमजोरियों** को अक्सर अनदेखा किया जाता है।

सकारात्मक उदाहरण:

- ☑ **मंगोलिया:** अनौपचारिक श्रमिकों को **मातृत्व अवकाश** का लाभ दिया गया है और **पितृत्व अवकाश** को बढ़ावा दिया गया है।
- ☑ **मेक्सिको और ट्यूनीशिया:** अब घरेलू कामगारों को सामाजिक **सुरक्षा प्रणालियों** में शामिल किया जा रहा है।
- ☑ **सेनेगल:** **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना** का विस्तार किया गया है ताकि यह **ग्रामीण महिलाओं** की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

लिंग-संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ:

- रिपोर्ट लिंग-संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के महत्व पर जोर देती है, जो **महिलाओं और लड़कियों** के सामने आने वाली **विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करती हैं।**

AI पर अत्यधिक निर्भरता वित्तीय क्षेत्र में जोखिम पैदा कर सकती है: RBI
Excessive reliance on AI could pose risks to financial sector: RBI

हाल ही में, **भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)** द्वारा आयोजित **90वें उच्च स्तरीय सम्मेलन** में, गवर्नर ने AI के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों के बारे में चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि कुछ प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के बाजार पर हावी होने की स्थिति में **प्रणालीगत कमजोरियां** उत्पन्न हो सकती हैं, जो वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाल सकती हैं।

AI का वर्तमान उपयोग: वित्तीय प्रणाली में AI का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे:

- **एल्गोरिथम और उच्च आवृत्ति व्यापार**
- **क्रेडिट स्कोरिंग और अनुमोदन**
- **ग्राहक सेवा (चैटबॉट्स के माध्यम से)**
- **जोखिम प्रबंधन (बाजार के रुझानों के पूर्वानुमान के लिए)**

AI से उत्पन्न जोखिम

- ✓ **संकेन्द्रण जोखिम:** यदि कई **वित्तीय संस्थाएं व्यापार या जोखिम मूल्यांकन** के लिए समान **AI मॉडल** का उपयोग करती हैं, तो इन एल्गोरिदम में विफलता या त्रुटि का व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, **AI ट्रेडिंग सिस्टम मंदी** के दौरान बड़े पैमाने पर बिकवाली को **ट्रिगर** करके बाजार में अस्थिरता पैदा कर सकता है।
- ✓ **एल्गोरिद्म संबंधी पूर्वाग्रह:** AI प्रणालियाँ ऐतिहासिक डेटा पर प्रशिक्षित होती हैं, जिससे **भेदभावपूर्ण ऋण देने या क्रेडिट निर्णय** लेने जैसी अनुचित स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, **AI-संचालित ऋण स्वीकृति प्रणाली अनजाने** में कुछ जनसांख्यिकीय समूहों को ऋण देने से मना कर सकती है।
- ✓ **डेटा सुरक्षा और गोपनीयता:** डेटा का उल्लंघन या दुरुपयोग पहचान की चोरी, धोखाधड़ी और दोनों संस्थाओं एवं ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकता है।
- ✓ **अन्य जोखिम:**
  - **'ब्लैक बॉक्स' समस्या के कारण पारदर्शिता की कमी।**
  - **'AI मतिभ्रम' के कारण भ्रामक जानकारी।**

जोखिमों से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदम:

- ☑ **व्यापक AI विनियमन:** **शोधकर्ताओं, सुरक्षा विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं** के साथ उद्योग-व्यापी सहयोग में संलग्न होना आवश्यक है।
- ☑ **रक्षा क्षमताओं को अधिकतम करना:** AI विकास जीवनचक्र के प्रत्येक चरण में मजबूत सुरक्षा सुविधाओं को शामिल करने के लिए **'डिजाइन द्वारा सुरक्षा'** दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि AI प्रणालियों की आधारभूत अखंडता सुनिश्चित हो सके।

'गरीबी, समृद्धि और ग्रह: बहुसंकट से बाहर निकलने के रास्ते' रिपोर्ट
Pathways out of the Polycrisis: Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024

हाल ही में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा कि **2024** में लगभग **129 मिलियन भारतीय** अत्यधिक **गरीबी** में जी रहे होंगे, जिनकी दैनिक आय **2.15 डॉलर (लगभग 181 रुपये)** से भी कम होगी, जबकि **1990 में यह संख्या 431 मिलियन** थी। यह रिपोर्ट एक ऐसा ढांचा प्रदान करने का प्रयास करती है जो **व्यापार-नापसंद का प्रबंधन** कर सके और आर्थिक विकास के तीन महत्वपूर्ण कोनों - **गरीबी, समृद्धि, और ग्रह पर सर्वोत्तम संभव परिणाम प्रदान कर सके।**

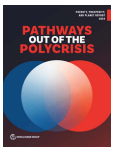

मुख्य निष्कर्ष:

- ✓ **वैश्विक गरीबी में कमी:**
  - पिछले पांच वर्षों में **"बहुसंकट"** के कारण वैश्विक गरीबी में कमी लगभग रुक गई है।
  - **बहुसंकट** का तात्पर्य है कि **धीमी आर्थिक वृद्धि, बढ़ती नाजुकता, जलवायु जोखिम, और बढ़ी** हुई अनिश्चितता जैसे कई संकट एक साथ आए हैं, जिससे **राष्ट्रीय विकास रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** में बाधा आई है।
- ✓ **लक्ष्यों की प्राप्ति न होना:**
  - अनुमान है कि 2030 में अत्यधिक गरीबी में रहने वाली वैश्विक जनसंख्या का प्रतिशत **7.3% होगा (2024 में 8.5%)।**
  - यह **विश्व बैंक** के **3% के लक्ष्य** से **दोगुना और संयुक्त राष्ट्र** के सतत विकास लक्ष्यों के उन्मूलन लक्ष्य से बहुत दूर है।
- ✓ **वैश्विक समृद्धि अंतराल:**
  - महामारी के बाद की स्थिति ने **समावेशी आय वृद्धि** में मंदी को उजागर किया है।
  - समृद्धि अंतराल वह औसत कारक है जिसके द्वारा आय को गुणा करना आवश्यक है ताकि विश्व में हर व्यक्ति को प्रति व्यक्ति **प्रति दिन 25 डॉलर** के समृद्धि मानक पर लाया जा सके।
- ✓ **भारत की स्थिति:**
  - **2024 में,** लगभग **129 मिलियन** भारतीय अत्यधिक गरीबी में रहने का अनुमान है, जिनकी दैनिक आय **2.15 डॉलर (लगभग 181 रुपये)** से कम होगी।
  - **1990 में,** यह संख्या **431 मिलियन** थी, जो कि समय के साथ एक महत्वपूर्ण कमी दर्शाती है।
  - **दैनिक आय के 6.85 डॉलर (लगभग 576 रुपये)** के उच्च गरीबी मानक के साथ, अधिक भारतीय **1990** की तुलना में **2024** में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं।

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

2024

GA FOUNDATION

RECORDED BATCH

Subject

- HISTORY ,POLITY
- GEOGRAPHY
- ECONOMICS

Price

1499/-

Validity
1 Year

By Ankit Avasthi Sir

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

RRB NTPC

TEST SERIES

- 100+ Mock Test
- 78 Sectional Test
- 40+ years PYPs
- 60+ Current affairs

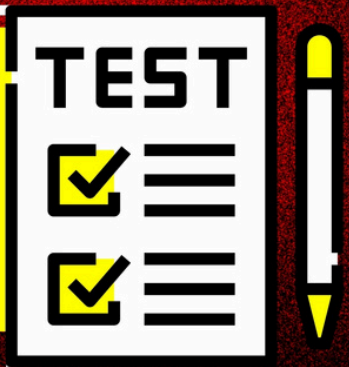

Only 99 Per Year

Buy Now

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit